

अध्याय-III

बजटीय प्रबन्धन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबन्धन को सम्मिलित करते हुए बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, यह आंकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से सम्बन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 8 के अनुसार वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी प्रत्येक लेखा शीर्ष, जिससे वह सम्बन्धित है, के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गयी है।

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस: केन्द्र प्रायोजित योजनाएं; सीएस: केन्द्रीय योजनाएं; ईएपी: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत बजट को अन्तिम रूप देने के पश्चात राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय अनुमानों को बजट में अलग से मतदेय एवं भारित मद के व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और राजस्व लेखा में अन्य व्यय से व्यय को विभेद करता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व वैधानिक प्राधिकार आवश्यक है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदेय होने के पश्चात, राज्य के समेकित निधि से विनियोग हेतु सभी प्रकार के मतदेय के साथ साथ भारित व्यय के सभी आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहाँ उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।

अनुपूरक अनुदान से इतर, उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनःआवंटन के लिए पुनर्विनियोग का भी उपयोग किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतदेय अथवा भारित विनियोग खण्ड के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई में बचत का अन्तरण उसी खण्ड के अन्तर्गत (अर्थात् राजस्व-मतदेय, राजस्व-भारित, पूँजीगत-मतदेय, पूँजीगत-भारित) किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2022-23 के बजट के घटक



स्रोत: उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के सम्बन्ध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अनुसार किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2022-23 दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	436261.48	49523.27	336997.42	46227.13	99264.06	3296.14
पूँजीगत	167153.05	32618.11	113919.00	22716.03	53234.05	9902.08
योग	603414.53	82141.38	450916.42	68943.16	152498.11	13198.22

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23 एवं बजटीय अभिलेख

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व और पूँजीगत दोनों खण्डों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम था, जिसमें 21.11 प्रतिशत और 31.60 प्रतिशत की बचत देखी गई। अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के सापेक्ष सकल व्यय राजस्व मतदेय खण्ड में 77.25 प्रतिशत, राजस्व भारत खण्ड में 93.34 प्रतिशत, पूँजीगत मतदेय खण्ड में 68.15 प्रतिशत और अनुदान/विनियोग के पूँजीगत भारत खण्ड के अधीन 69.64 प्रतिशत था।

3.1.2 भारत एवं मतदेय व्यय

2018-23 की अवधि के दौरान कुल भारत एवं मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का विवरण के विश्लेषण की प्रवृत्ति तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका: 3.2 वर्ष 2018-23 के दौरान मतदेय और भारत के अधीन व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूँजीगत			
	व्यय		बचत		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत
2018-19	247287	58976	51703	433	82792	20729	27377	9838
2019-20	266083	35367	64113	22640	75556	22420	27637	12993
2020-21	263323	39047	81777	25080	66856	26798	33551	8139
2021-22	293995	45530	84220	999	80806	28734	57149	10258
2022-23	336997	46227	99264	3296	113919	22716	53234	9902

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.2 से प्रदर्शित होता है कि 2018-19 की अवधि के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय ₹ 2,47,287 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2,66,083 करोड़ हो गया था जो वर्ष 2020-21 में मामूली रूप से घटकर ₹ 2,63,323 करोड़ हो गया था जो पुनः वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 3,36,997 करोड़ हो गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में 14.63 प्रतिशत बढ़ गया। हालाँकि, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन बचत 2018-19 में ₹ 51,703 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 99,264 करोड़ हो गई।

इसी प्रकार, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय 2018-23 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था और यह वर्ष 2020-21 के दौरान न्यूनतम (₹ 66,856 करोड़) और वर्ष 2022-23 के दौरान अधिकतम (₹ 1,13,919 करोड़) था। वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय (₹ 1,13,919 करोड़) पूर्व वर्ष के दौरान हुए व्यय की तुलना में 40.98 प्रतिशत अधिक था। हालाँकि, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत बचत बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है, जो कि वर्ष 2018-19 के ₹ 27,377 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 57,149 करोड़ हो गई जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान पुनः घटकर ₹ 53,234 करोड़ हो गयी।

3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय मूलरूप से अनुमोदित राशि दोनों के सन्दर्भ में अनुमोदन से अधिक और अनुमोदन से कम को दर्शाता है। वास्तविक अनुमोदित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय की तुलना के विवरण को तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक अनुमोदित बजट के सन्दर्भ में वास्तविक परिणाम (₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं बजट के मध्य अन्तर*
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	472027.90	383224.55	(-)88803.35
पूँजी	179758.46	136635.03	(-)43123.43
योग	651786.36	519859.58	(-)131926.78

स्रोत: विनियोग लेखे एवं बजट अभिलेख

*मूल प्रावधान पर वास्तविक परिणाम का आधिक्य (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान पर वास्तविक परिणाम में कमी (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व सेक्शन में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 18.81 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 40 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, छः अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत से अधिक व समतुल्य एक अनुदान में विचलन के कारण था।

पूँजी सेक्शन में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 23.99 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 21 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 19 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक सात अनुदानों में विचलन के कारण था।

व्यय परिणाम संरचना

व्यय परिणाम संरचना उस सीमा को मापता है जहाँ पुनः आवंटन, मूल बजट श्रेणी के मध्य निष्पादन के दौरान व्यय संरचना में परिवर्तनशीलता के योगदान को तालिका 3.4 में निम्न रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4 : व्यय परिणाम संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमोदित मूल बजट(बीई)	संशोधित अनुमान(आरई)	वास्तविक परिणाम	(बीई) एवं (आरई) के मध्य अन्तर	वास्तविक एवं आरई* के मध्य अन्तर'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	472027.90	438622.88	383224.55	33405.02	(-)55398.33
पूँजी	179758.46	180516.56	136635.03	(-) 758.10	(-)43881.53
योग	651786.36	619139.44	519859.58	32646.92	(-)99279.86

स्रोत: विनियोग लेखा एवं बजट अभिलेख

*संशोधित अनुमान पर वास्तविक का आधिक्य (+) चिन्ह के रूप में और संशोधित अनुमान पर वास्तविक में कमी (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है

राजस्व खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 12.63 प्रतिशत था। यह 64 अनुदानों में 0 से \pm 25 प्रतिशत के मध्य, 23 अनुदानों में \pm 25 प्रतिशत से \pm 50 प्रतिशत के मध्य, पाँच अनुदानों में \pm 50 प्रतिशत से \pm 100 प्रतिशत के मध्य विचलन के कारण था।

पूँजी खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 24.31 प्रतिशत था। यह 53 अनुदानों में 0 से \pm 25 प्रतिशत के मध्य, 14 अनुदानों में \pm 25 प्रतिशत से \pm 50 प्रतिशत के मध्य, 20 अनुदानों में \pm 50 प्रतिशत से \pm 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक पाँच अनुदानों में विचलन के कारण था।

3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

इस भाग में निर्धारित बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया से विचलन पर चर्चा की गई है।

3.2.1 विगत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसे अधिक व्यय की माँग को उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था तो अतिरिक्त व्यय की माँग को, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित था, लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा में प्रस्तुत कर नियमित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित 104 अनुदानों और 48 विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 32,533.46 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, को राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: पिछले वित्तीय वर्षों का अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8, 12, 53, 55, 57, 58, 72 पूँजीगत मतदेय-15, 16, 18, 23, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व भारित-1, 52; पूँजीगत भारित-52, 55	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9, 13, 55, 58, 61, 62, 73, 91, 95 पूँजीगत मतदेय -3, 16, 31, 37, 55, 57, 58, 89, 96 राजस्व भारित -2, 3, 10, 52, 62, 89	2484.47

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2007-08	राजस्व मतदेय -51, 55, 57, 58, 62; पूँजीगत मतदेय -13,16, 55, 58, 63, 83, 96 राजस्व भारित -51, 66	3610.65
2008-09	राजस्व मतदेय -62, 96; पूँजीगत मतदेय -55, 58, 96 राजस्व भारित -52	3399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16, 55, 58, 59 राजस्व भारित -3,10, 16, 48, 52, 66	1250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30, 51, 91; पूँजीगत मतदेय -10, 55, 58 राजस्व भारित -10, 23, 61, 82	1702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21, 62, 91; पूँजीगत मतदेय -1, 55, 58 राजस्व भारित -13, 18, 23, 61, 62, 82	1889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51, 57; पूँजीगत मतदेय -55, 58 राजस्व भारित -55, 62, 89	2380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52	2608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57, 91; पूँजीगत मतदेय -1, 40, 55, 57, 58 राजस्व भारित -13	2225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58, 87 राजस्व भारित - 2, 23, 52, 62	1566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55, 58, 87 राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित - 61	5662.17
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55 राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58 राजस्व भारित - 52; पूँजीगत भारित - 10, 21, 55	1539.44
2019-20	पूँजीगत भारित - 55	0.11
2020-21	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय -55 पूँजीगत भारित -55	8.10
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल व्ययाधिक्य		32533.46

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

अधिक व्यय बजटीय और वित्तीय नियन्त्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसको नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। प्राधिकार से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किये जाने को उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से प्रकाश में लाया गया है। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित अधिक व्यय के मामलों को वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण करने के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमण्डल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से आहरित नहीं किया जाएगा।

3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह परिसम्पत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं। अग्रेतर, कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूँजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से परिसम्पत्ति बनायी जाती है और तदनुसार बजट में व्यवस्था और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में मानक शीर्ष 15 (वाहनों का रखरखाव एवं पेट्रोल आदि का क्रय), 16 (वाणिज्यिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान), 27 (आर्थिक सहायता), 29 (रखरखाव), 47 (कम्प्यूटर का रखरखाव/सम्बन्धित स्टेशनरी का क्रय) एवं 58 (आउटसोर्सिंग सेवाओं का संवितरण) के तहत राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण संज्ञान में आया, जैसा कि तालिका 3.6 में संक्षेपित है

तालिका 3.6: राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	2022-23 में व्यय
1.	15	वाहनों का रखरखाव एवं पेट्रोल आदि का क्रय	4406	0.19
2.	16	वाणिज्यिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4059, 5054	6.16
3.	27	आर्थिक सहायता	4810	9.08
4.	29	रखरखाव	4406	0.29
5.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/प्रासंगिक स्टेशनरी की खरीद	4202, 5054	0.82
6.	58	आउटसोर्सिंग सेवाओं का संवितरण	4070	1.18
राजस्व व्यय में न्यूनोक्ति				17.72

स्रोत : वित्त लेखा 2022-23

राजस्व एवं पूँजी व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणाम को तालिका 3.6 में दर्शाया गया है, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 17.72 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आंकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार, सिवाय नियम या निर्देश एवं नियन्त्रित स्थायी स्वीकृति के, नियमतः अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण मुख्य मदों को प्रदर्शित करते हुये दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अधीन ₹ 9,277.05 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान योजना विवरण को दर्शाए बिना किया गया (परिशिष्ट-3.1)। इन एकमुश्त प्रावधानों में से ₹ 5,254.09 करोड़ (प्रावधान का 56.64 प्रतिशत) का वास्तविक व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) के पूँजीगत (मतदेय) खण्ड के प्रकरण के अन्तर्गत मूल बजट प्रावधान में सड़क कार्यों के लिए ₹ 5,246 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया था जो अनुदान के पूँजीगत (मतदेय) खण्ड के अन्तर्गत मूल बजटीय प्रावधानों का 33.05 प्रतिशत था। इसमें से वास्तविक व्यय ₹ 4,617.04 करोड़ था। यथार्थ शीर्ष प्रमाणन के आंकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान करना पारदर्शिता के सिद्धान्त के विपरीत है।

3.2.4 केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के चित्रण में विसंगति

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों को केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्रीय सहायित योजनाओं के सम्बन्ध में उप-शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्तपोषण पद्धति (केन्द्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) के साथ बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के लिए बजट दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि वित्तपोषण पद्धति को दर्ज करने के लिए उपरोक्त मानदण्डों का पालन नहीं किया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आठ कार्यक्रमों (परिशिष्ट 3.2) के प्रकरण में वित्तपोषण पद्धति (केन्द्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) का विस्तृत शीर्ष के साथ उल्लेख नहीं किया गया था। अग्रेतर, केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र सहायित योजनाओं के अन्तर्गत चार कार्यक्रमों (परिशिष्ट 3.3) के सम्बन्ध में केन्द्र अंशदान और राज्य के अंश का कुल योग, बिना कोई कारण बताए 100 प्रतिशत से अधिक या कम था।

31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 व 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के क्रमशः प्रस्तर 3.2.7, 3.2.6 व प्रस्तर 3.2.6 में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं/परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.3.1 बजट अनुमान और योजना एवं क्रियान्वयन के बीच अन्तर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रावधानों, अनुपूरक प्रावधानों, कुल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं राजस्व मतदेय, राजस्व भारित, पूँजीगत मतदेय, तथा बचत की संक्षिप्त स्थिति को पूँजीगत भारित खंडों के अन्तर्गत तालिका 3.7 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.7 : वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण		
						धनराशि	प्रतिशतता	
मतदेय	राजस्व	422507.48	13754.00	436261.48	336997.42	99264.06	20152.35	20.30
	पूँजी	144198.92	11757.35	155956.27	103710.37	52245.90	3401.72	6.51
	ऋण एवं अग्रिम	2946.78	8250	1,196.78	10208.63	988.15	415.71	42.07
योग		569653.18	33761.35	603414.53	450916.42	152498.11	23969.78	15.72
भारित	राजस्व	49520.42	2.85	49523.27	46227.13	3296.14	32.41	0.98
	पूँजी	49.47	00	49.47	25.57	23.90	0.53	2.22
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	32563.29	5.35	32568.64	22690.46	9878.18	00	00
योग		82133.18	8.20	82141.38	68943.16	13198.22	32.94	0.25
महायोग		651786.36	33769.55	685555.91	519859.58	165696.33	24002.72	14.49

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 6,85,555.91 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 5,19,859.58 करोड़ था। समस्त बचत ₹ 1,65,696.33 करोड़ के कुल प्रावधान का 24.17 प्रतिशत थी, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व मतदेय (22.75 प्रतिशत) और पूँजीगत मतदेय खण्डों के अन्तर्गत (33.50 प्रतिशत) थी। यह राज्य सरकार द्वारा नियोजन और क्रियान्वयन में बड़े अन्तर को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय में प्रवृत्ति को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	456248.38	509003.49	544571.20	585910.43	651786.36
अनुपूरक बजट	42887.74	17805.73	00	15781.05	33769.55
कुल बजट (टीबी)	499136.12	526809.22	544571.20	601691.48	685555.91
संशोधित अनुमान (आरई)	482328.87	481130.95	446224.67	517531.86	619139.44
वास्तविक व्यय (ईई)	409784.50	399426.75	396023.70	449065.47	519859.58
बचतें	89351.61	127382.47	148547.50	152626.01	165696.33
अनुपूरक बजट का मूल प्रावधान के सापेक्ष प्रतिशत	9.40	3.50	00	2.69	5.18
कुल बचत का कुल प्रावधान से प्रतिशत	17.90	24.18	27.28	25.37	24.17
टीबी-आरई	16807.24	45678.27	98346.53	84159.61	66416.47
आरई-ईई	72544.37	81704.20	50200.97	68466.39	99279.86
(टीबी-आरई) का टीबी से प्रतिशत	3.37	8.67	18.06	13.99	9.69
(आरई-ईई) का आरई से प्रतिशत	15.04	16.98	11.25	13.23	16.04

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं विनियोग लेखे।

तालिका 3.8 प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 33,769.55 करोड़ मूल प्रावधान का विगत वर्ष 2.69 प्रतिशत के सापेक्ष 5.18 प्रतिशत था।


बीई, आरई एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति का चित्रण चार्ट 3.3 में है।



उक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पुनरीक्षित अनुमान (आरई) सदैव राज्य के कुल बजट (टीबी) अनुमान से कम था। प्रथम तीन वर्ष में आरई एवं टीबी के बीच का अन्तर में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी तथा अन्तिम दो वर्षों में गिरावट देखी गयी थी। वास्तविक व्यय वर्ष 2019-20 के दौरान मामूली गिरावट (2.53 प्रतिशत) तथा वर्ष 2020-21 में (0.85 प्रतिशत) विगत वर्षों के सापेक्ष थी, तथापि इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान (13.39 प्रतिशत) और वर्ष 2022-23 में (15.76 प्रतिशत) की वृद्धि विगत संगत वर्षों के सापेक्ष रही। वर्ष 2018-23 के दौरान बजट प्रावधान का बचत वर्ष (2018-19) में 17.90 प्रतिशत और (2020-21) में 27.28 प्रतिशत के मध्य परिवर्तनशील रहा। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित अनुमान (आरई) कुल बजट (टीबी) से 3.37 प्रतिशत कम था और वर्ष 2022-23 में यह अन्तर 9.69 प्रतिशत तक बढ़ गया। आगे, वर्ष 2018-23 के दौरान वास्तविक व्यय भी समान अवधि के दौरान पुनरीक्षित अनुमान (आरई) से निरन्तर कम था, यह (2020-21) में 11.25 प्रतिशत और (2021-22) में 16.04 प्रतिशत के मध्य था। उसी रूप में अनुपूरक प्रावधान वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों समतुल्य सीमा के अन्तर्गत भी नहीं था।

विगत पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान प्रावधान के तुलना में बजट के कम उपयोग के पैटर्न को चार्ट 3.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.4: विगत पाँच वर्षों (2018–23) के दौरान बजट प्रावधान और बजट का उपयोग



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

चार्ट 3.4 प्रदर्शित करता है कि विगत पाँच वर्षों (2018–23) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि वास्तविक व्यय में वर्ष 2019–20 व 2020–21 के दौरान कमी की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के दौरान वास्तविक व्यय में वृद्धि हुई थी, लेकिन यह बजट प्रावधान का 75 प्रतिशत से 76 प्रतिशत रहा। यह बजटीय आवंटन अवास्तविक आधारित प्रस्तावों को दर्शाता है जैसे कि राज्य का बजट अनुमान बढ़ा हुआ था और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था। वर्ष 2022–23 के दौरान अनुमानित प्राप्तियाँ एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य तुलना में भी कुल बजटीय व्यय की आवश्यकता के लिये बजट प्रावधान के स्रोत में अन्तराल था जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2022–23 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति मद	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों की कमी/अधिकता
(i) राजस्व प्राप्तियाँ	499212.71	417241.50	(-) 16.42
स्वयं का कर राजस्व	220655.00	174087.15	(-) 21.10
संघीय करों/शुल्कों का अंश	146498.76	169745.30	(+) 15.87
गैर कर राजस्व	23406.48	13489.46	(-) 42.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	108652.47	59919.59	(-) 44.85
(ii) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	2565.00	1337.32	(-) 47.86
(iii) लोक ऋण	89174.00	66846.93	(-) 25.04
कुल प्राप्तियाँ	590951.71	485425.75	17.86

स्रोत: राज्य सरकार का बजट अभिलेख एवं वित्त लेखा

जैसा कि तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि बजट 2022-23 में अनुमानित प्राप्तियां एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य पर्याप्त (₹ 1,05,526 करोड़) का अन्तराल था। इस प्रकार राज्य सरकार, उपलब्ध राजस्व स्रोत के सन्दर्भ में बजट में वृद्धि की समीक्षा करे।

3.3.2 अव्ययित बजट प्रावधान

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के सन्दर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान, बड़े अभ्यर्पण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक वित्तीय अनियमितता माना गया है। बजट तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश भी अनुमानों की सटीकता और त्रुटिपूर्ण माँगों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे के अन्तर्गत 92 अनुदानों में बचत के सापेक्ष बजट प्रावधान की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकाश में आया कि राजस्व-मतदेय के अन्तर्गत 55 अनुदानों से सम्बन्धित 55 प्रकरणों में एवं पूँजीगत-मतदेय खण्डों के 31 अनुदानों से सम्बन्धित 31 प्रकरणों (जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) के अधीन क्रमशः ₹ 98,549.60 करोड़ और ₹ 52,025.93 करोड़ की बचत अंकित की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व-भारित खण्ड के अन्तर्गत तीन अनुदानों से सम्बन्धित तीन प्रकरणों में तथा पूँजीगत भारित खण्ड के अन्तर्गत एक अनुदान से सम्बन्धित एक प्रकरण (जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) में क्रमशः ₹ 3,256.15 करोड़ और ₹ 9,876.90 करोड़ की बचतें अंकित की गईं। इस प्रकार, 62 अनुदानों के 90 प्रकरणों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में कुल ₹ 1,63,708.58 करोड़ (24.98 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में वर्णित है और तालिका 3.10 में संक्षेपित है।

तालिका 3.10 : 2022-23 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बड़ी बचत वाले अनुदानों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का खण्ड	प्रकरणों की संख्या	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचत (प्रतिशत)
1	राजस्व मतदेय	55	422917.71	324368.05	98549.60	23.30
2	पूँजीगत मतदेय	31	158459.24	106433.31	52025.93	32.83
	कुल मतदेय	86	581376.95	430801.36	150575.53	25.90
1.	राजस्व भारित	3	45821.03	42564.88	3256.15	7.11
2.	पूँजीगत भारित	1	28136.73	18259.84	9876.90	35.10
	कुल भारित	4	73957.76	60824.72	13133.05	17.76
	महायोग	90	655334.71	491626.08	163708.58	24.98

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में बड़ी बचतें त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

3.3.3 सतत् बचत

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सतत् बचतों (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रतिवेदित किया गया था एवं राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधानों के उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था।

24 अनुदानों के 27 प्रकरणों में यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान लगातार बचत ₹ 101.54 करोड़ और ₹ 14,921.22 करोड़ के मध्य (₹ 100 करोड़ और अधिक) हुई थी। सतत् बचत का विवरण **परिशिष्ट-3.5** में दिया गया है और **तालिका 3.11** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11 : वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों का सारांश
(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	बचत की धनराशि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व- मतदेय	23	37825.43	47801.39	53290.45	52515.92	61142.03
पूँजीगत- मतदेय	04	10717.24	12115.09	10233.06	11636.85	5663.27
योग	27	48542.67	59916.48	63523.51	64152.77	66805.30

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

वर्षों से पर्याप्त संख्या में अनुदानों में लगातार बचत, राज्य सरकार द्वारा बार-बार निधि की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण का संकेतक है।

3.3.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162 अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान या विनियोग की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखों से पता चला कि 17 अनुदानों के 42 प्रकरणों में (प्रत्येक मामले में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) किये गये ₹ 5256.75 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, इन अनुदानों में ₹ 17,504.94 करोड़ बचत के कारण अनावश्यक साबित हुए। व्यय मूल प्रावधानों के स्तर से कम या उसके बराबर तक भी नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट-3.6** में वर्णित है एवं **तालिका 3.12** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12 : उन मामलों का सारांश जिनमें वर्ष 2022-23 में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का खण्ड	कुल प्रकरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	राजस्व मतदेय	28	52971.17	3826.77	56797.94	42369.82	14428.12
2.	पूँजीगत मतदेय	14	4255.55	1429.98	5685.53	2608.71	3076.82
योग		42	57226.72	5256.75	62483.47	44978.53	17504.94

यह अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इन अनुदानों के अन्तर्गत पर्याप्त बचत हुई। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक प्रावधान धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक न किया जाना, खराब बजट अनुशासन का भी सूचक है।

3.3.5 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई के अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/पूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो अनुदान के उसी खण्ड के अन्तर्गत अनुदान के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बचत का अन्तरण है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2022-23 के दौरान, 18 अनुदानों के 31 उप-शीर्षों में (परिशिष्ट-3.7) कुल बजट प्रावधान ₹ 8,484.54 करोड़ था और पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 542.35 करोड़ की और वृद्धि की गई थी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप-शीर्षों के कुल बजट प्रावधान के अन्तर्गत था। इन 31 उप-शीर्षों में कुल ₹ 1,498.57 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.13 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.13: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान	उपशीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोजन के बाद कुल प्रावधान	व्यय	बचत
18	31	8484.54	542.35	9026.89	7528.32	1498.57

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

यह इन अनुदानों के अधीन पुनर्विनियोग की युक्ति के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

3.3.6 व्यय का अतिरेक

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62(3) के अन्तर्गत, व्यय की एक स्थिर गति को बनाए रखना सार्वभौमिक रूप से एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के रूप में स्वीकार किया गया है। केन्द्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के

रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के अतिरेक को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

विनियोग लेखे वर्ष 2022-23 की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 10 अनुदानों के अन्तर्गत माह मार्च 2023 में किया गया व्यय 50 से 71 प्रतिशत सीमान्तर्गत था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है। इन्हीं अनुदानों के अन्तर्गत वर्ष के चौथे तिमाही में किया गया व्यय जो कि 54 प्रतिशत से 77 प्रतिशत सीमान्तर्गत था।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि अनुदान सं० 58 (संचार साधन एवं सड़क) के अन्तर्गत किये गये व्यय ₹ 11,969 करोड़ में से मार्च 2023 के दौरान ₹ 53.03 करोड़ पी०डी०/पी०एल०ए० में दो जनपदों (प्रयागराज एवं कौशाम्बी) में अन्तरित किया गया। इसी प्रकार अनुदान सं० 38 (नागरिक उड्डयन विभाग) के अन्तर्गत किये गये व्यय ₹ 1,420 करोड़ में से मार्च 2023 में ₹ 611.62 करोड़ दो जनपदों (गौतमबुद्धनगर व श्रावस्ती) में पी०डी०/पी०एल०ए० में अन्तरित किये गये। एक अनुदान सं० 07 (उद्योग विभाग-भारी एवं मध्यम) के प्रकरण में किये गये व्यय ₹ 10,367 करोड़ में से मार्च 2023 में ₹ 25 करोड़ जनपद उरई में पी०डी०/पी०एल०ए० में अन्तरित किये गये।

3.3.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में योजनाओं और परियोजनाओं के सूत्रीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा निम्नानुसार है: 'शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ-साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर एक बड़ा असर पड़ता है। परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन चरण में दिये गए अतिरिक्त समय और प्रयास के परिणामस्वरूप अन्तिम परियोजना प्रभाव के मामले में गुणात्मक सुधार होगा।

विनियोग लेखे 2022-23 की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकाश में आया कि कई ऐसी योजनायें थीं, जिनके लिए सरकार ने मूल प्रावधान किए लेकिन विनियोग लेखाओं में बिना कारण बताए कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। इसी प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मूल प्रावधानों को अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया था और उन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिनके लिए मूल रूप से विनियोग किया गया था। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है:

योजनायें (उप शीर्ष) जिनके बजट आवंटन का उपभोग नहीं किया जा सका

विनियोग लेखे 2022-23 में देखा गया कि राज्य सरकार ने 13 अनुदानों के अन्तर्गत 22 योजनाओं (**परिशिष्ट-3.9**), जिसके लिए सौ करोड़ और उससे अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, पर कोई व्यय नहीं किया, जैसा कि **तालिका 3.14** में संक्षेपित है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

अनुदानों की संख्या	योजना की संख्या	मूल अनुदान	कुल व्यय	बचत
13	22	9,458.85	0.00	9,458.85

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23


योजनायें (उप शीर्षों) जिनसे मूल प्रावधानों का पुनर्विनियोग अन्य योजनाओं में किया गया

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 (परिशिष्ट-3.10) के दौरान 15 अनुदानों के तहत 30 योजनाओं के लिए ₹ 1,233.69 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में दस करोड़ और अधिक) का प्रावधान किया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया और इन योजनाओं से प्रावधानों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,233.69 करोड़) किया गया।

उपरोक्त 52 योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का उपयोग न करना यह दर्शाता है कि या तो बजट बिना उचित विवेक के तैयार किया गया था, या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गम्भीर चूक हुई थी।

वर्ष 2022-23 में हुई कुल बचतों सहित अनुदानों का प्रतिशत उपभोग ग्रुप के अनुसार विवरण को **परिशिष्ट- 3.11** एवं **चार्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.5 : अनुदानों/विनियोगों की संख्याओं का ग्रुप के अनुसार कुल बचतों सहित बचतों के प्रतिशतता का वितरण




स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

3.3.8 बचतों का विलम्बित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अन्तिम बचतें 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य समर्पित कर दी जाए। जैसे ही बचतें प्रत्याशित हों तो उनका समर्पण शीघ्र किया जाना चाहिए। यदि वित्त विभाग ऐसे समर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो विलम्ब से समर्पण करने वाले अधिकारियों को परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान बचत और अभ्यर्पण का विवरण चार्ट 3.6 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.6: वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बचतें एवं अभ्यर्पण



स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

चार्ट 3.6 में यह देखा जा सकता है कि कुल बचत ₹ 1,65,696.33 करोड़ में से कुल धनराशि ₹ 24,002.71 करोड़ (14.49 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया था। कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.57 करोड़ 25 मार्च 2023 से पूर्व अभ्यर्पित किया गया था और शेष ₹ 24,002.14 करोड़ वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन समर्पित किया गया था। अवशेष बचत ₹ 1,41,693.62 करोड़ (85.51 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन किया गया अभ्यर्पण यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन था।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन अनुदानों में निहित तीन प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) ₹ 785.46 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 791.14 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 5.68 करोड़ धनराशि का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जैसा कि तालिका 3.15 में दर्शित है।

तालिका 3.15 : योजनाएं जिनमें बचत से अधिक अभ्यर्पण हुआ का सारांश

(₹ करोड़ में)				
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पण
68	विधान सभा सचिवालय (राजस्व मतदेय)	21.93	25.85	3.92
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा-राजस्व मतदेय)	578.68	580.43	1.75
17	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (राजस्व मतदेय)	184.85	184.86	0.01
योग		785.46	791.14	5.68

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के समर्पण से स्पष्ट है कि विभागों द्वारा व्यय के प्रवाह को निगरानी कर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण का प्रयोग नहीं किया गया था।

3.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा

चयनित अनुदानों के सम्बन्ध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियन्त्रण हेतु समीक्षा की गयी जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक माँगों और वास्तविक व्यय में भिन्नता के परिणाम का विश्लेषण किया गया। अनुदान समीक्षा के परिणाम की चर्चा इस प्रतिवेदन के आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

3.4.1 अनुदान सं0 60 वन विभाग

3.4.1.1 प्रस्तावना

अनुदान सं0 60-वन विभाग में सम्मिलित हैं मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2406-वानकी एवं वन्य जीवन, 2407-वृक्षारोपण, 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 3604-नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिकर एवं समनुदेशन, 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय एवं 4406-वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय।

3.4.1.2 बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए अनुदान के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और अप्रयुक्त प्रावधानों की समग्र स्थिति को तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16 : वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान और इसका प्रतिशत
2020-21	राजस्व-मतदेय मूल	901.55	901.55	566.71	334.84 (37.14)
	अनुपूरक	0.00			
	राजस्व-भारित मूल	0.14	0.14	0.00	0.14 (100.00)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मतदेय मूल	468.19	468.19	414.63	53.56 (11.44)
	अनुपूरक	0.00			
योग		1369.88	981.34	388.54	
2021-22	राजस्व-मतदेय मूल	936.89	936.89	589.33	347.56 (37.10)
	अनुपूरक	0.00			
	राजस्व-भारित मूल	0.14	0.14	0.00	0.14 (100.00)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मतदेय मूल	568.86	568.86	541.05	27.81 (4.89)
	अनुपूरक	0.00			
योग		1505.89	1,130.38	375.51	
2022-23	राजस्व-मतदेय मूल	1010.88	1010.98	671.21	339.77 (33.61)
	अनुपूरक	0.10			
	राजस्व-भारित मूल	31.80	31.80	31.69	0.11 (0.35)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मतदेय मूल	729.93	986.44	900.58	85.86 (8.70)
	अनुपूरक	256.51			
योग		2029.22	1603.48	425.74	

स्रोत: वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के विनियोग लेखे

तालिका 3.16 दर्शाती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व-मतदेय के अन्तर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 33.61 प्रतिशत से 37.14 प्रतिशत के सीमान्तर्गत था जबकि वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान राजस्व-भारित के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अगस्त 2023 में विभाग ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2020-23 के दौरान राजस्व (मतदेय गैर-योजना) शीर्ष की अप्रयुक्त धनराशि वेतन एवं अधिष्ठान शीर्ष से सम्बन्धित थी, जिसका निर्धारण स्वीकृत मानव शक्ति के आधार पर था। बचत रिक्त पद/अधिवार्षिता के कारण थी और आगामी वर्षों में बचत में कमी की संभावना थी। राजस्व भारित शीर्ष के सन्दर्भ में, विभाग ने आगे बताया कि यह राशि किसी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले, डिक्री या पुरस्कार के अनुपालन में संभावित भुगतान के लिए प्रावधानित की गयी थी।

3.4.1.3 सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

जैसा कि प्रस्तर 3.3.7 में चर्चा की गयी है कि राज्य सरकार ने 13 अनुदानों के अन्तर्गत 22 योजनाओं, पर जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ और अधिक का प्रावधान किया गया था, (परिशिष्ट-3.9) पर कोई भी व्यय नहीं किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, वन विभाग की अनुदान लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो शीर्ष/योजनाओं में मूल प्रावधान के साथ-साथ अनुपूरक प्रावधान भी किया गया था लेकिन कोई भी व्यय नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.17 में चर्चा की गयी है।

तालिका 3.17: योजनाएं जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं किया जा सका।

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	लेखा शीर्ष	योजना / शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान
1.	4406-01-102-01 मतदेय	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	7.05	21.71	28.76	0.00	28.76
2.	4406-01-102-89 मतदेय	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश	5.23	14.47	19.70	0.00	19.70
	विभाग ने (अगस्त 2023) में उत्तर दिया कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) में भारत सरकार से निधि अन्तरण और मैकेनिज्म प्रणाली के अनुश्रवण में बदलाव के कारण और पीएफएमएस में मैपिंग पूरी न होने कारण केन्द्रांश प्राप्त नहीं हो सका था।						

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

अग्रेतर, एक शीर्ष/योजना के अन्तर्गत, सरकार ने मूल प्रावधान से पुनर्विनियोजन किया, यद्यपि विभाग ने पुनर्विनियोजन के उपरान्त अवशेष बजट प्रावधान में से कोई व्यय नहीं किया जैसा कि तालिका 3.18 में चर्चा की गयी है।

तालिका 3.18 : योजना जिसके लिये पुनर्विनियोजन के उपरान्त बजट प्रावधान उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र०सं	लेखाशीर्ष	योजना/शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान
1.	4406-02-110-08 मतदेय	कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यावरण पर्यटन और जैव विविधता केन्द्र की स्थापना।	10.00	(-)4.75	5.25	0.00	5.25
विभाग ने उत्तर (अगस्त 2023) दिया कि कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की अनुमति विचाराधीन होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था। वास्तव में विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की शुरुआत भी नहीं की जा सकी थी जिसके कारण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका था।							

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

उपरोक्त शीर्ष/योजनाओं के अन्तर्गत निधि का उपभोग न करना यह प्रदर्शित करता है कि प्रस्तावित कार्य की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किये बिना बजट का प्रावधान किया गया था।

3.4.1.4 नई योजनाओं/सेवाओं का क्रियान्वयन

अनुदान सं० 60 (वन विभाग) में वर्ष 2022-23 के लिये 11 नये शीर्ष/योजनाओं के लिये प्रावधान किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 11 नये शीर्ष/योजनाओं में से तीन प्रकरणों में प्रावधान के सापेक्ष 50.00 प्रतिशत से 60.40 प्रतिशत व्यय किया जैसा कि तालिका 3.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19 : नई सेवाओं में व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय (प्रतिशतता)	अप्रयुक्त प्रावधान
1.	2406-01-070-03 मतदेय	बुंदेलखण्ड के अलावा अन्य जिलों में वन विश्राम गृह का नवीनीकरण एवं रखरखाव	10.00	6.04 (60.40)	3.96
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि अप्रयुक्त धनराशि के पुनर्विनियोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था, यद्यपि जिसका अनुमोदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था।					
2.	2406-02-111-04 मतदेय	शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर गोरखपुर के लिये कार्पस फण्ड	50.00	25.00 (50.00)	25.00
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल ₹ 25 करोड़ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी।					
3.	4406-02-110-04 मतदेय	सारनाथ हिरन पार्क में वन्यजीव प्रबंधन एवं पर्यटन सुविधाओं का विकास	0.33	0.18 (54.55)	0.15
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि मूल्यांकन कमेटी ने, जैसा कि निर्देशित किया था, कि विश्राम गृहों के रखरखाव हेतु प्रस्तावित कार्य के स्थान पर छोटे चिड़ियाघर के उन्नयन का प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हो सका था और जिसके फलस्वरूप निधि का उपयोग नहीं हो सका था।					

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

जैसा कि तालिका 3.19 में चर्चा की गई है, विभाग प्रस्तावित कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप निधि का उपयोग नहीं हुआ।

3.4.1.5 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162 अन्य बातों के साथ यह अपेक्षा करता है कि अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वन विभाग के वर्ष 2022-23 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि दो योजनाओं में ₹ 37.18 करोड़ की धनराशि का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो कि इन प्रकरणों में कुल प्रावधान उपयोग न किये जाने के कारण अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि तालिका 3.20 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.20 : अनुपूरक प्रावधान में बचत, व्यय व प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	4406-01-102-01 मतदेय	हरित भारत मिशन	7.05	21.71	28.76	0.00	28.76
	4406-01-102-89 राज्यांश-मतदेय		5.23	14.47	19.70	0.00	19.70
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त न किये जाने के कारण हरित भारत मिशन के प्रावधान का उपयोग न किया जा सका।							
2.	2406-02-110-17 मतदेय	लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
	4406-02-110-17 मतदेय		0.00	0.90	0.90	0.00	0.90
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) से अनुमति के अभाव में कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकी। तथ्य यह है कि बजट प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद, विभाग कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के प्रस्तावित कार्य को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित नहीं कर सका।							
योग			12.28	37.18	49.46	0.00	49.18

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

3.4.1.6 सतत बचतें

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट आवंटन का पर्याप्त अंश (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) शीर्ष 2406-04-103-03 (राज्य प्रतिपूरक वनरोपण-राज्य प्राधिकरण) के अन्तर्गत इस अनुदान में अप्रयुक्त रहा, जो यह इंगित करता है कि संगत वर्षों में प्रस्तावित वित्तीय व्यय का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था जैसा कि तालिका 3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21 : सतत् बचत (₹ 1 करोड़ और अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतें	बचते
			2020-21	2021-22	2022-23
1.	2406-04-103-03 राजस्व-मतदेय	राज्य प्राधिकरण-राज्य प्रतिकर वनीकरण	26.06	3.11	368.26
लेखापरीक्षा में देखा गया कि शीर्ष 2406-04-103-03 राज्य प्राधिकरण-राज्य प्रतिकर वनीकरण के अन्तर्गत प्रतिकर वनीकरण, जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) व ब्याज भुगतान शीर्ष हेतु प्रावधान किया गया था। वन भूमि के एनपीवी और ब्याज भुगतान शीर्ष के बचत के सन्दर्भ में विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान कई वन संभागों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति न किये जाने के कारण बचत हुई थी और क्रमशः संगत शीर्ष में कम व्यय हुआ। तथापि, जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना शीर्ष के अन्तर्गत बचत के सन्दर्भ में विभाग ने बताया (अगस्त 2023) कि वन भूमि के अन्तरण हेतु भारत सरकार से लम्बित अनुमोदन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निधि के लिये प्रस्ताव न भेजना बचत का कारण था।					

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के विनियोग लेखे

वर्षों से सतत् बचत, राज्य सरकार द्वारा निधि की आवश्यकता के अनुचित मूल्यांकन का संकेतक है।

3.4.1.7 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वन विभाग ने मुख्य शीर्ष-2406 एवं मुख्य शीर्ष 4406 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत ₹ 3.21 करोड़, ₹ 3.27 करोड़ एवं ₹ 7.03 करोड़ की धनराशि का व्यय क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान इन व्ययों को उचित लघु शीर्षों में दर्ज करने के बजाय इन शीर्षों में दर्ज किया गया था जिसका विवरण तालिका 3.22 में अंकित है।

तालिका 3.22: लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष / उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय एवं इसका मुख्य शीर्ष के कुल व्यय से प्रतिशतता		
	2020-21	2021-22	2022-23
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन - 01-वानिकी	2.21 (0.39)	0.77 (0.13)	0.78 (0.12)
4406-वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-01-वानिकी	1.00 (0.24)	2.50 (0.46)	6.25 (0.69)
योग	3.21	3.27	7.03
लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) से सम्बन्धित व्यय, वन अग्नि की सुरक्षा एवं प्रबन्धन योजना, संशोधित कार्य योजना एवं निर्माण, ई-गवर्नेन्स योजना, सीएसएस का सम्बन्धित राज्यांश, मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं सुरक्षा, आचार्य नरेन्द्र देव स्मारक पार्क की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास, वन देवी जैव-विविधता क्षेत्र मऊ का विकास एवं सुरक्षा, गौरा हार्दो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' में दर्ज किया गया था। तथापि ये व्यय मुख्य शीर्ष 2406 एवं मुख्य शीर्ष-4406 के अन्तर्गत उपलब्ध लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास एवं पुनरूत्थान, 102-सामाजिक एवं फार्म वानिकी या 001-निर्देशन एवं प्रशासन से सम्बन्धित होने चाहिये थे।			

विभाग ने (अगस्त 2023) आश्वस्त किया कि इन व्ययों को सम्बन्धित लघु शीर्षों में प्रावधान एवं दर्ज करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

स्रोत: वन विभाग एवं कार्यालय म०ले० (ले०एवं ह०-१) उ०प्र० प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

3.4.2 अनुदान सं० 38 नागरिक उड्डयन

3.4.2.1 प्रस्तावना

अनुदान सं० 38- नागरिक उड्डयन में मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2203- प्रावधिक शिक्षा, 3053- नागरिक उड्डयन एवं 5053- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय शीर्ष सम्मिलित हैं।

3.4.2.2 बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए अनुदान के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत की समग्र स्थिति को तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23 : वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान और इनकी प्रतिशतता
2020-21	राजस्व-मूल (वी)	146.91	146.91	87.96	58.95 (40.13)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मूल (वी)	2,604.75	2604.75	1728.92	875.83 (33.62)
	अनुपूरक	0.00			
2021-22	राजस्व-मूल (वी)	101.19	101.19	52.72	48.47 (47.90)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मूल (वी)	2,206.00	2206.00	128.28	2077.72 (94.18)
	अनुपूरक	0.00			
2022-23	राजस्व-मूल (वी)	103.68	103.68	76.17	27.51 (26.53)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मूल (वी)	2,212.00	2212.00	2013.77	198.23 (8.96)
	अनुपूरक	0.00			

स्रोत : विनियोग लेखे

तालिका 3.23 दर्शाती है कि पूँजी (मतदेय) के अन्तर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 8.96 प्रतिशत और 94.18 प्रतिशत के मध्य एवं राजस्व (मतदेय) के अन्तर्गत बजट प्रावधान 26.53 प्रतिशत और 47.90 प्रतिशत के मध्य था।

विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान कोविड के दृष्टिकोण से पूर्णबन्दी और 2021-22 में विधानसभा चुनाव जिसके कारण हैलीकाप्टर संचालन प्रभावित हुआ था, बजट का कम उपयोग हो पाया। आगे, 2022-23 के दौरान, विभाग ने बताया कि पूँजीगत परियोजनाओं पर कम व्यय के कारण बचत हुई थी।

3.4.2.3 बचतों का समर्पण न किया जाना

यूपीबीएम के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उनके अंश का समर्पण वित्त विभाग को 25 मार्च तक करना आवश्यक है।

अनुदान सं0 38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बचतों की स्थिति एवं समर्पण को तालिका 3.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24: अनुदान सं 38-नागरिक उड्डयन के अन्तर्गत बचतों का समर्पण न किया जाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत		समर्पण	
	राजस्व (वी)	पूँजी (वी)	राजस्व (वी)	पूँजी (वी)
2020-21	58.95	875.83	0.00	0.00
2021-22	48.47	2077.72	9.91	2077.62
2022-23	27.51	198.23	27.51	198.23

स्रोत: विनियोग लेखे

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने सभी समर्पण जैसा तालिका 3.23 में दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अर्थात् 31 मार्च को किया था, जो कि यूपीबीएम का उल्लंघन था।

3.4.2.4 व्यय का गलत वर्गीकरण

मुख्य शीर्ष 3053 के नीचे टिप्पणी (8) के अनुसार केन्द्र व राज्य के लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उच्च पदाधिकारियों के उपयोग हेतु क्रय किये गये वायुयान का वर्गीकरण सरकार के सामान्य प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। अग्रेतर, एलएमएमएच में मुख्य शीर्ष 2070 के अन्तर्गत टिप्पणी (6) के नीचे प्रावधानित है कि सरकार द्वारा संरक्षित वायुयान पर क्रय एवं रखरखाव पर किया गया व्यय नियमित लोक सेवा जैसा नहीं है और मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के नीचे लघु शीर्ष 114 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इस प्रकार, वायुयान के रखरखाव एवं मरम्मत पर किये गये व्यय का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत किया जाना चाहिये न कि मुख्य शीर्ष 3053-नागरिक उड्डयन या एमएच 5053-नागरिक उड्डयन के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि विभाग ने राज्य हेलीकाप्टरों पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत ₹ 11.81 करोड़ के व्यय को राजस्व मुख्य शीर्ष 2070 के बजाय पूँजी के मुख्य शीर्ष 5053 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया। लेखाओं की पुस्तकों में राजस्व व्यय का पूँजी व्यय के रूप में वर्गीकरण राज्य के राजस्व आधिक्य को भी प्रभावित किया था।

विभाग ने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि व्यय का वर्गीकरण उसी लेखाशीर्ष में किया गया था जिसमें बजट आवंटित किया गया था।

तथ्य यह है कि राज्य हेलीकाप्टर की मरम्मत और रखरखाव पर किये गये व्यय को राजस्व व्यय के बजाय पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो एलएमएमएच के तहत निर्देशों का उल्लंघन था।

3.4.2.5 सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त और असमर्पित रहा

शासन ने लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रणाली की स्थापना और क्रय हेतु ₹ 0.88 करोड़ (फरवरी 2023) स्वीकृत किये। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में मशीन एवं उपकरणों हेतु शीर्ष 5053-02-800-04-26 के अन्तर्गत ₹ एक करोड़ का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ एक करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा और समर्पित कर दिया तथा प्रस्तावित उपकरण की खरीद भी नहीं की जा सकी थी।

विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के मानकों के अनुसार सुरक्षा उपकरणों की खरीद हेतु एक क्रय समिति और प्रावधिक कमेटी का गठन किया गया लेकिन क्रय समिति वित्तीय वर्ष में क्रय प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकी थी।

तथ्य यह है कि खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण उपकरणों की खरीद के लिये प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.5 निष्कर्ष

- वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,85,555.91 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,65,696.33 करोड़ की कुल बचत हुई। पिछले पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन बजट का उपभोग 73 प्रतिशत से 82 प्रतिशत सीमान्तर्गत था। तथापि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में वास्तविक व्यय में ₹ 70,794.11 करोड़ (15.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- व्यय के गलत वर्गीकरण, वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय का अतिरेक, बड़ी संख्या में योजनाओं के तहत अप्रयुक्त प्रावधान और बजट प्रावधानों के अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण थे। इसके अलावा, विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों ने बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया और 85.51 प्रतिशत बचतें व्यपगत हो गईं।
- वर्ष 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित 104 अनुदानों और 48 विनियोजनों के तहत ₹ 32,533.46 करोड़ के अधिक संवितरण को नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना बाकी है। अधिक व्यय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.6 संस्तुतियाँ

- वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- पुनर्विनियोग निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

7. वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अन्तिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा न जाये एवं शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।
8. कतिपय मानक मदों में सम्मिलित पूँजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय के मदों का वर्गीकरण निश्चित मानक शीर्ष में सम्मिलित कर लिया गया जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है। इसको यूपीबीएम के साथ संरेखित करने के लिये समीक्षा और निवारण करने की आवश्यकता है।
9. सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियन्त्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।
10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएं।